25 पत्रावली पेश। आवेदिका प्रार्थी उप-।
आवेदिका अप्रार्थी अनुपस्थित। प्रार्थनापत्र
पर प्रार्थी आवेदिका की एकपक्षीय बहस
सुनी जाई। सुविधा का संतुलन, प्रथम
दृष्टया मामला, एवं अपूरणीय क्षति तीनों
बिन्दु प्रार्थिया के पक्ष में प्रतीत होने
के कारण अप्रार्थीगणों को अस्थायी
निषेधाज्ञा की आज्ञा से पाबन्द

Scanned with OKEN Scanner

किया जाता है कि तार्केसला मुलवाद

अप्रार्थीगण ग्राम पाल के ख. नं. 118/1

रकबा 6 बीघा 15 बीस्वा, तथा ख. नं. 113/1

रकबा 6 बीघा 18 बीस्वा कुल कजरे 2

कुल रकबा 13 बीघा 13 बीस्वा में प्रार्थी

के 1/5 हिस्से में से किसी प्रकार का

बेचान हस्तान्तरण नहीं करे एवं न ही

किसी अन्य व्यक्ति से करावे/अप्रार्थीगण

मौके पर किसी प्रकार का निर्माण कार्य भी

नहीं करे। पत्रावली फैसला शुमार होकर

दाखिल दफ्तर हो।